

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एक 4 (69) आकाशि/अनु/2007/ 2083

दिनांक- 13/12/11

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 से पूर्व में आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्र सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	69	स्यो सुठ लखी कथावा गार्वा कालेज	गोविन्दगढ़, पौनू जिला जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय एवं संकाय

नोट- संस्था 6 माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्टॉक का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।

- सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अभ्यास कार्य हेतु यूजीसी अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्यवसायिक तथा विपरीत मानदण्डानुसार अधैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समग्र-2 पर यूजीसी/राज्य सरकार/निदेशालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृतित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विभिन्न महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- प्रति वर्ष निदेशालय से साठ्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक

कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आदरपूर्वक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, महा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला व लेक्टर, राज0।
5. निरीक्षणकारी पञ्च तैक्ष (मुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. साठ्यकी शाखा, निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)